

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : सुरेश कुमार, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 77/2022 राजस्व अपील

1. रतिराम पुत्र श्री घासी जाति गुर्जर निवासी गांवडी तहसील सिकराय जिला दौसा।

अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार सिकन्दरा जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट

(अपील विरुद्ध निर्णय उपतहसीलदार सिकन्दरा दिनांक 10.12.2021 मुकदमा उनवानी सरकार बनाम रतिराम मुकदमा संख्या 163/2021 अन्तर्गत धारा 91 एल. आर. एक्ट)

उपस्थिति : श्री विश्राम गुर्जर, अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित।

: श्री राजेश कुमार शर्मा राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

:- निर्णय :-

दिनांक: 29.05.2023

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलान्ट के विरुद्ध पटवारी हल्का द्वारा एक रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय उप तहसील सिकन्दरा के समक्ष इस आशय की पेश की गई की ग्राम गांवडी तहसील सिकराय में स्थित आराजी खसरा नम्बर 88 रकबा 0.65 है। भूमि पर सम्बत 2078 में अपीलान्ट ने काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी अपीलान्ट को सुनवाई व सबूत का मौका दिये बिना ही निर्णय पारित कर अपीलान्ट को 30 दिवस के सिविल कारावास व पेनल्टी से दण्डित करने के आदेश पारित कर दिये। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 10.12.2021 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा उक्त निर्णय के विरुद्ध यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय कानून नियम एवं पत्रावली के तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने ना तो अपीलान्ट को जवाब प्रस्तुत करने का मौका दिया व न ही सुनवाई व सबूत का मौका दिया, जबकि सजा जैसे मुकदमे में अपीलान्ट को पूर्ण सुनवाई का मौका देकर ही कोई निर्णय पारित करना चाहिये। पत्रावली पर अपीलान्ट के पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने का कोई सबूत ही नहीं है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट न तो प्रदर्श हुई और न ही साबित हुई तथा बिना प्रदर्शित हुये उक्त रिपोर्ट साक्ष्य में ग्रहण करने योग्य नहीं थी।

अपीलान्ट ने शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि भूमि खसरा नम्बर 88 रकबा 0.65 है। ग्राम गांवडी तहसील सिकराय पर से अपीलान्ट शपथकर्ता ने अपना कब्जा छोड दिया है एवं अपीलान्ट शपथकर्ता भविष्य में किसी भी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं करेगा। अपीलान्ट शपथकर्ता द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।



प्रकरण संख्या : 77 / 2022 राजस्व अपील

जवाब बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्त ने ग्राम गांवडी तहसील सिकराय में स्थित चरागाह भूमि खसरा नम्बर 88 रकबा 0.65 है. भूमि पर सरसों की फसल काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है। अपीलान्त अतिक्रमी के विरुद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत विधि अनुसार कार्यवाही करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.12.2021 के द्वारा अपीलान्त को 30 दिवस के सिविल कारावास की सजा व पेनल्टी से दण्डित किया गया है। अपीलान्त उक्त भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी है। राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपील अपीलान्त खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्त द्वारा ग्राम गांवडी तहसील सिकराय में स्थित चरागाह भूमि खसरा नम्बर 88 रकबा 0.65 है. भूमि पर से अपना अतिक्रमण पूर्ण रूप से हटा लिया जाना एवं उक्त भूमि मौके पर खाली होना एवं भविष्य में किसी भी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं किये जाने सम्बन्धी शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्त आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्त इस शर्त पर आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है कि ग्राम गांवडी तहसील सिकराय में स्थित चरागाह भूमि खसरा नम्बर 88 रकबा 0.65 है. पर अतिक्रमण नहीं होने बाबत् अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र उप तहसीलदार सिकन्दरा द्वारा सत्यापित किया जाने पर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 10.12.2021 में से सिविल कारावास की सजा स्थगित की जाकर शेष आदेश यथावत रखा जाता है। अन्यथा सिविल कारावास सहित अधीनस्थ न्यायालय का उक्त आदेश दिनांक 10.12.2021 यथावत प्रभावी रहेगा। निर्णय की प्रति के साथ अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत मूल शपथ पत्र एवं अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ट लेख भण्डार की जावे।

(सुरेश कुमार)

अति० जिला कलक्टर ,दौसा



निर्णय आज दिनांक 29.05.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुरेश कुमार)

अति० जिला कलक्टर ,दौसा